न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 20 / 2021

प्रार्थी :–

1. श्रीमती दडकीदेवी पत्नी जगताराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम अन्नापूर्णानगर (सिणेर) तहसील सिवाना जिला बाडमेर
2. श्रीमती लीला पत्नी देवाराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम अन्नापूर्णानगर (सिणेर) तहसील सिवाना जिला बाडमेर
3. श्रीमती हटकीदेवी पतनी दोलाराम जाति मेघवंशी निवासी ग्राम अन्नापूर्णानगर (सिणेर) तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर
2. नारणाराम पुत्र उकाराम जाति मेगवंशी निवासी ग्राम अन्नपूर्णानगर तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. **श्री जयप्रकाश रामदेव अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **विप्रार्थी संख्या 2 इकबाली जबाब**

–:: आदेश ::–

दिनांक :–16.07.2021

उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण वकील द्वारा रा.भू.अ. की धारा 131,136 के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्व पेश कर निवेदन किया कि पटवार क्षेत्र सिणेर भू.अ.नि. क्षेत्र धारणा तहसील सिवाना में खेत खसरा संख्या 635 / 460 रकबा 06.7987 हैक्टयर प्रार्थीगण के खातेदारी हक हकूक का है व खसरा संख्या 634 / 460 रकबा 00.9469 हैक्टयर विप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी हक हिस्से का है नकल खतौनी व नक्शा पेश है प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण का मूल खसरा संख्या 460 रकबा 47.17 बीघा किस्म धोरा अन्नपूर्णानगर से भाखरपुरा जाने वाली डामर सडक पर आया हुआ है जिसमें से 42 बीघा भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी [illegible] की व 05–17 बीघा भूमि विप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी हक हिस्से की है तथा [illegible] के पर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण अपने–अपने हक हिस्से के मौके काबिज है जिसका नजरी नक्शा परिशिष्ट [illegible] जो प्रार्थना पत्र के सलंग्न है में वर्णित किया है तथा उसी अनुरूप बरंग लाल हक हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण एंव बरंग लाल एवं बरंग हरा हक हिस्से की भूमि पर विप्रार्थीगण का कब्जा तथा उनके मध्य काटो की बाड एंव पुरानी माठे स्थिति है। जिसमें प्रार्थीगण के हक हिस्से में विप्रार्थीगण द्वारा कभी भी दखलदांजी पैदा नहीं की है हाल ही में प्रार्थीगण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.02 18:14:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

3 के बेटे द्वारा अपने खेत के हक हिस्से की भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु हल्का पटवारी स नकल प्राप्त की तब राजस्व रकर्ड में गलत तरीके से तरमीम करवाने की जानकारी हुई तब प्रार्थीगण द्वारा पटवारी हल्का से गलत की गई तरमीम के नक्शों को दुरूस्त करने हेतु कहा एवं कब्जा काश्त के अनुरूप लट्ठा ट्रेस में दुरूस्ती करने को कहा तब पटवारी ने कहा की त्रृटि से नक्शों में डिजिटेलाईशन के दरम्यान् उनके द्वारा काबिज काश्त के अनुरूप भूमि का खसरा नहीं दर्शा कर गलत तरीके से तरमीम कर दी गई है जिससे उपरोक्त तरमीम सक्षम अधिकारी भू.अ.अधिकारी के जरिये ही करवाई जा सकती है। माफिक कब्जे के अनुरूप तरमीम नहीं होने से कब्जे काश्त को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है जिस हेतु नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' के माफिक राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्ती की जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया । तथा तहसीलदार सिवाना के जरिये मौका रिपोर्ट वादग्रस्त भू–खण्ड की मंगवाई गई जो दोनो पक्षो की उपस्थिति में पटवारी हल्का सिणेर द्वारा बाद जॉच की जाकर तहसीलदार सिवाना के जरिये जांच रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर विप्रार्थी नाराणाराम की उपस्थिति एंव अंगुष्ठ निशान होने से जांच रिपोर्ट संलग्न पत्रावली की गई।

उपरोक्त प्रकरण में वादग्रस्त खातेदारी खेत की मौका रिपोर्ट पेश होने पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया जिनके द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' व जांच रिपोर्ट व उसके साथ पेश नजरी नक्शा परिशिष्टि 'अ' के अनुरूप राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी एंव विप्रार्थी के खातेदारी खेत की भूमि को राजस्व नक्शों में तरमीम दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया गया बहस सुनी गई। पत्रावली व उसमें पेश दस्तावेज सबूतो को अवलोकन एवं मनन किया बाद अवलोकन पत्रावली व उसमें पेश दस्तावेज से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या 460 का मूल खसरा है जो राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण एंव विप्रार्थी संख्या 02 के नाम से अलग –अलग खातेदारी क तौर पर दर्ज है। जो राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 634/460 जो विप्रार्थी के खातेदारी का है कटाण मार्ग से जुडता हुआ सम्पूर्ण खसरा तरमीम हो चुका है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी को राजस्व रेकर्ड में विप्रार्थी की खातेदारी बदिशा उत्तर पश्चिम में दर्ज कर दिया गया है जिस बाबत पटवारी हल्का द्वारा पेश जांच रिपोर्ट में उपरोक्त तरमीम [illegible] एवं मौके की जांच रिपोर्ट में उसके संलग्न नजरी नक्शा [illegible] प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 02 काबिज होने बताया है जिस [illegible] सख्या 02 की उपस्थिति में तैयार होने एवं उसकी उपस्थिति एवं सहमति अंगुष्ठ निशान होने से उपरोक्त जांच रिपोर्ट के अनुरूप में प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों एवं उसके संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' के माफिक राजस्व रेकर्ड के न क्शो में प्रार्थीगण एंव विप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है जिससे प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.02 18:14:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार सिवाना द्वारा पेश जांच रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में वर्णित अनुसार राजस्व रेकर्ड के नक्शा में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी के रकबे के अनुरूप राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्त करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार सिवाना माफिक आदेश पालना रिपोर्ट पेश करे । पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 16.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.02 18:14:59 IST
Reason: SelfAttested